संख्या-389/2025/3778/22-2-2023-17(1381)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

विषय:- जिला कारागार संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश गिरी पुत्र श्री पौधन गिरी, निवासी जनपद-आजमगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05-09-2023) दिनांक-04-10-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश गिरी पुत्र श्री पौधन गिरी, जो कस्बा नरसिंहपुर थाना-जहानागंज जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक-25/26.04.2008 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा,बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग व गोलीबारी से अपने 01 अज्ञात साथी की हत्या सहित कुल 05 लोगों की हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-651/2008, व 654/2008, भा०द०वि० की धारा-147,148,307/149,302/149, व 5 वि0प0अधि0 व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.07.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 06 माह, 06 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक- 25/26.04.2008 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा,बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग व गोलीबारी से अपने 01 अज्ञात साथी की हत्या सहित कुल 05 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कमलेश गिरी पुत्र श्री पौधन गिरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश गिरी (बन्दी संख्या-51/2023) पुत्र श्री पौधन गिरी, निवासी जनपद-आजमगढ़ को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-389/2025/3778(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, संतकबीर नगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-389/2025/3778/22-2-2023-17(1381)/2023

दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश गिरी पुत्र श्री पौधन गिरी, जो कस्बा नरसिंहपुर थाना-जहानागंज जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक-25/26.04.2008 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा,बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग व गोलीबारी से अपने 01 अज्ञात साथी की हत्या सहित कुल 05 लोगों की हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-651/2008, व 654/2008, भा०द०वि० की धारा-147,148,307/149,302/149, व 5 वि0प0अधि0 व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.07.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 06 माह, 06 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक-25/26.04.2008 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा,बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग व गोलीबारी से अपने 01 अज्ञात साथी की हत्या सहित कुल 05 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कमलेश गिरी पुत्र श्री पौधन गिरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।